

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ3 (ख)(1)अलेसे-II/

दिनांक

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प. 10(7)वित्त/राजस्व/2013 लूज दिनांक 06.08.2018 एवं वित्त(राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(1)वित्त/राजस्व/16 दिनांक 25.09.2018 की निरन्तरता में प्री. 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशन में संशोधन हेतु पेंशन संशोधन दल में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को सेकिण्डमेन्ट के आधार पर संबंधित कोषालयों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र.स.	लिंक नम्बर	नाम कार्मिक सर्वश्री	पदस्थापित कार्यालय	कोषालय का नाम पेंशन संशोधन कार्य किया जाना है ।
1.	4261	अशोक कुमार शर्मा, सलेअ-II	संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, भरतपुर	कोषाधिकारी, भरतपुर
2.	2700	कृष्ण गोपाल गुप्ता, सलेअ-II	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर	कोषाधिकारी, भरतपुर
3.	3149	कैलाश चन्द , सलेअ-II	जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा	कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
4.	9372	मुकेश कुमार पंचोली, सलेअ-II	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भीलवाड़ा	कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
5.	5437	सुशील कुमार पारीक, सलेअ-II	मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर	कोषाधिकारी, (ग्रामीण), जोधपुर
6.	8618	हीरालाल पुरोहित, सलेअ-II	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर	कोषाधिकारी, (ग्रामीण), जोधपुर
7.	5093	संजय सोनी, सलेअ-II	जिला परिषद(पंचायत प्रकोष्ठ), जोधपुर	कोषाधिकारी, (ग्रामीण), जोधपुर
8.	2965	महेन्द्र कुमार बैरवा, सलेअ-II	अतिनिदेशक, पशुपालन विभाग, कोटा	कोषाधिकारी, कोटा
9.	2364	राकेश कुमार सिंहल, सलेअ-II	उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, कोटा	कोषाधिकारी, कोटा
10.	4587	छगनलाल प्रजापत, सलेअ-II	खनि.अभियन्ता, द्वितीय खान एवं भू-विज्ञान, राजसमन्द	कोषाधिकारी, राजसमन्द
11.	4107	दीनदयाल वर्मा, सलेअ-II	उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, सवाईमाधोपुर	कोषाधिकारी, सवाईमाधोपुर
12.	4389	भंवर सिंह चारण, सलेअ-II	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, श्रेणी ए, बांसवाड़ा	कोषाधिकारी, बांसवाड़ा
13.	9436	नाथूलाल माली, सलेअ-II	जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ), उदयपुर	कोषाधिकारी, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर
14.	5057	संजय अरोडा, सलेअ-II	आयुक्त, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	कोषाधिकारी, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर
15.	3856	अर्जुनलाल, सलेअ-II	उपनिदेशक, कृषि विभाग, अलवर	कोषाधिकारी, अलवर
16.	5894	श्रीनाथ कारपेन्टर, सलेअ-II	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, बून्दी	कोषाधिकारी, बून्दी

17.	5004	भोला शंकर शर्मा, सलेअ-11	जिला आयुर्वेद विभाग, बून्दी	कोषाधिकारी, बून्दी
18.	5203	श्रवण लाल कुमावत, सलेअ-11	कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, टोंक	कोषाधिकारी, टोंक

उक्तानुसार समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने वर्तमान कार्यालय से बिना किसी पत्राचार के कार्यमुक्त होकर संबंधित कोषाधिकारी के पास अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जावेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ3 (ख)(1)अलेसे-11/2466

दिनांक 21.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को भेजकर लेख है कि संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को सातवें वेतनमान के आधार पर प्री-2018 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन हेतु तत्काल कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था करने का श्रम करावें। आप द्वारा संबंधित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति यदि आपके क्षेत्राधिकार स्थित कोषालय, पेंशन संशोधित का कार्य प्रारम्भ नहीं होता है अथवा यह महत्वपूर्ण कार्य पिछड़ता है तो ऐसी अप्रिय एवं अस्वीकार्य स्थिति की जिम्मेदारी इस निदेशालय की नहीं होगी।
- 4 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5 अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय.....
- 6 संयुक्त निदेशक (कोष) कार्यालय हाजा को उनके यूओनोट क्रमांक 271 दिनांक 11.01.2019 के क्रम में।
- 7 संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11.....को भेजकर लेख है कि आप संबंधित कोषालय में प्री 2018 के पेंशनर्स की पेंशन संशोधन हेतु अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कर सूचित करें तथा यदि आपको तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अविलम्ब ई-मेल एवं दूरभाष नम्बर 0141-2774131 इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
- 8 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 9 निजी पत्रावली /रक्षित पत्रावली

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)